प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 17.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“मिशन शक्ति फेज-5.0” के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे “मिशन शक्ति फेज- 05” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 17.02.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.12.2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 16.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी वरि0उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मुन्नालाल उर्फ छक्कीलाल अहिरवार पुत्र दीनदयाल अहिरवार उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम कोटरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद बोरी में 21 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्रांण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम बम्हौरीकुर्मिन के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 29/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुन्नालाल उर्फ छक्कीलाल अहिरवार पुत्र दीनदयाल अहिरवार उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम कोटरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
2. कां0 नितिन कुमार

महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर लज्जाभंग करने व हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी वांछित अभियुक्त को थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त वाहन, अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में गैंगेस्टर एक्ट, लूट, डकैती सहित विभिन्न अभियोग हैं दर्ज-

दिनांक- 15.02.2025 को थाना श्रीनगर क्षेत्र अन्तर्गत निवासी एक महिला ने लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि उसी के मोहल्ले के एक व्यक्ति को कार को लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाने पर टोंकने पर उस व्यक्ति ने घर में घुसकर मारपीट की एवं मना करने पर लज्जाभंग करने की कोशिश कर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायरिंग की गयी। इस सूचना पर थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 30/25 धारा 115(2)/352/351(1)/333/74/125 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त घटित घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में घटना करित करने वाले अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा आज दिनांक- 17.02.2025 को गठित की गयी अपराध निरीक्षक श्रीमती रजनी मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त इन्द्रजीत राजपूत पुत्र गुलाब सिंह राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष को बिना नम्बर प्लेट की स्विफ्ट कार (घटना में प्रयुक्त) सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ थाना क्षेत्र के सूरा चौराहे ग्राम तिन्दौली के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व उसके कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर बरामद बिना नम्बर प्लेट की स्विफ्ट कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है तथा बरामद अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस पर अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 31/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के बाद जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

इन्द्रजीत राजपूत पुत्र गुलाब सिंह राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम तिन्दौली थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट कार
- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्रीमती रजनी मिश्रा
2. व0उ0नि0 कन्हैया लाल 3. हे0कां0 ओम प्रकाश

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. एनसीआर- 27/22 धारा 323/504 भादवि थाना श्रीनगर
2. मु.अ.सं. 30/25 धारा 115(2)/352/351(1)/333/74/125 बीएनएस थाना श्रीनगर
3. मु.अ.सं. 31/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना श्रीनगर
4. मु.अ.स. 286/16 धारा 396/397/398/412/506 भादवि थाना कबरई
5. मु.अ.सं. 16/17 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कबरई
6. मु.अ.सं. 820/14 धारा 394/427/411/120 भादवि थाना कुलपहाड़
7. मु.अ.सं. 850/14 धारा 394/427/411 भादवि थाना कुलपहाड़

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 17.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।